न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 32/2017 Gcms No. 2017/00207

दायरा तिथि : 09.10.2017

प्राथमिक डिक्री दिनांक: 29.07.2021 फाईनल डिक्री दिनांक 8-11-2021।

वादी :–

गिदा पुत्र निम्बाजी जाति रेबारी
निवासी बेडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. बासिल जे. मासडो पुत्र श्री केन्नेथ मासडो
   129 सागर समीर, जे.पी.रोड वरसोवा (मुम्बई)
2. बबीता कंवर पत्नि नारायणसिंहजी जाति रावणा राजपुत
   निवासी बेडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
3. बलजीतसिंह पुत्र श्री जगजीतसिंहजी राणावत जाति राजपुत
   निवासी बेडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
4. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार

उपस्थिति :–

1. श्री संतोषकुमार शर्मा — अभिभाषक वादी की ओर से
2. प्रतिवादी संख्या–01....अनुपस्थित
3. नायब तहसीलदार, बाली — पेरोकार सरकार

दिनांक : 8-11-2021।

–:: निर्णय ::–

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादी ने ग्राम बेडा II पटवार हल्का बेडा II तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 3576, 3577/2 कुल खसरा–02 कुल रकबा 12.89 हैक्टर किस्म नहरी दोयम कुल वार्षिक लगान 167.57 रूपये के संबध में वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या–01 से 03 पेश किया। अपने वादपत्र में वादग्रस्त कृषि संयुक्त सह खातेदारी की भूमि होना तथा वादी का 1.25 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या–01 का 5.76 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या–02 का 1.60 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या–03 का 4.28 हैक्टर होने से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं0–01 से 03 के मध्य वाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन किये जाने का निवेदन किया। अपने वाद पत्र के समर्थन में वादीगण द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 एवं नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति पेश की गई। इन अभिलेखीय साक्ष्यों के अतिरिक्त बतौर मौखिक साक्ष्य गवाह पी.डब्लू–01 वादी स्वयं के बयान कलमबद्ध कराये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जाने पर सम्मन तामील के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की ओर से वकील श्री एम.ए. कलाम ने वकालतनामे पेश किये तथा प्रतिवादी संख्या–01 की तामील प्रासेस सर्विस व रजिस्टर्ड डाक से नहीं होने से महाराष्ट्र राज्य के दैनिक समाचार पत्र में सम्मन छाया कराये गये। सम्मन अखबार में छाया के पश्चात् प्रतिवादी संख्या–01 की ओर से वकील श्री एम.ए.कलाम ने वकालतनामा प्रस्तुती के लिये अण्डर टेकिंग लिया। प्रतिवादी संख्या–01 के अधिवक्ता श्री एम.ए. कलाम को अण्डर टेकिंग अनुसार वकालतनामा प्रस्तुती व जवाबदावा पेश करने के लिये न्यायालय द्वारा कई मर्तबा समय/अवसर दिये जाने के बावजुद जवाबदावा पेश नहीं किया गया एवं दिनांक 18.11.2019 को न्यायालय में **No Instruction Plead** किया गया। जिससे न्यायालय द्वारा दिनांक 18.11.2019 को प्रतिवादी संख्या–01, 02, 03 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाकर जवाबदावा का अवसर बंद किया गया। तहसीलदार, बाली के विरूद्व कोई अनुतोष नहीं होने बावत् पेरोकार सरकार की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत होने पर प्रकरण में वादी पक्ष की साक्ष्य के पश्चात् ग्राम बेडा II पटवार हल्का बेडा II तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 3576, 3577/2 कुल खसरा–02 कुल रकबा 12.89 हैक्टर किस्म नहरी दोयम कुल वार्षिक लगान 167.57 रूपये के संबध में वादी एवं प्रतिवादी संख्या– 01 से 03 के नाम रेकर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार पक्षकारो के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के टिनेन्सी एक्ट. की धारा 53 के तहत विभाजन की प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.07.2021 को जारी की गई। प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार, बाली ने अपने कार्यालय पत्रांक/प्रगासअ/भू.अ./2021/449 दिनांक 29.10.2021 से निम्नानुसार विभाजन रिपोर्ट प्रस्तुत की:–

क्रं. सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकवा	किस्म	लगान	नक्शे में दर्शित रंग
01	गिदा पुत्र निम्बा जाति रेबारी सा.देह खातेदार	3577 मी.	1.25	न.दो.		पीला
02	बबीता कंवर पत्नि नारायणसिंह जाति रावणा राजपुत सा. देह खातेदार	3577	1.60	न.दो.		हरा

पेज लगातार....02

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 32/2017 Gems No. 2017/00207
अनवान गिदा बनाम बासिल जे मासडो वगैरा
अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

क्रं. सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	नक्शे में दर्शित रंग
03	बलजीतसिंह पुत्र जंगजीतसिंह हिस्सा 428/1004 जाति राणावत सा.देह खातेदार बासिल जे. मासडो पुत्र कैन्नेथ मासडो हिस्सा 576/1004 साकिन समीर जे.पी.रोड वरसोवा बम्बई खातेदार	3576 3577/2	4.11 5.93	न.दो. न.दो.		लाल
		02	10.04	न.दो.		

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन रिपोर्ट के सबंध में वकील वादी द्वारा सहमति व्यक्त करने तथा विभाजन प्रस्ताव रेकर्ड में दर्ज हिस्सा के अनुसार ही होने से उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस के पश्चात् ग्राम बेडा II पटवार हल्का बेडा II तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 3576, 3577/2 कुल खसरा–02 कुल रकबा 12.89 हैक्टर किस्म नहरी दोयम कुल वार्षिक लगान 167.57 रूपये के संबध में वादी एवं प्रतिवादी संख्या– 01 से 03 के मध्य तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन रिपोर्ट के अनुसार टिनेन्सी एक्ट की धारा 53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है:–

क्रं. सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	नक्शे में दर्शित रंग
01	गिदा पुत्र निम्बा जाति रेबारी सा.देह खातेदार	3577 मी.	1.25	न.दो.		पीला
02	बबीता कंवर पत्नि नारायणसिंह जाति रावणा राजपुत सा. देह खातेदार	3577	1.60	न.दो.		हरा
03	बलजीतसिंह पुत्र जंगजीतसिंह हिस्सा 428/1004 जाति राणावत सा.देह खातेदार बासिल जे. मासडो पुत्र कैन्नेथ मासडो हिस्सा 576/1004 साकिन समीर जे.पी.रोड वरसोवा बम्बई खातेदार	3576 3577/2	4.11 5.93	न.दो. न.दो.		लाल
		02	10.04	न.दो.		

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। लगान राशि 167.57 रूपये के पांच गुणा राशि पर देय मुद्रांक पेश होने पर नियमानुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद के साथ नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बेडा II को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 8-11-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner